



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 226 राँची, मंगलवार,

18 अप्रैल, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

11 अप्रैल, 2023

संख्या--12/विविध-06-06/2021(खण्ड-1)-71(12)-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) बिहार गजट के असाधारण अंक 30 सितम्बर, 1994 द्वारा अधिसूचित स्वायत्तशासी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली "राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019"में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

- (i) यह नियमावली राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जाएगी।
- (ii) यह नियमावली राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक पद के लिए लागू होगी।
- (iii) इस नियमावली का विस्तार झारखण्ड राज्य में रिनपास, राँची तथा इसके अन्य इकाइयों में होगा।
- (iv) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के नियम 4(अ)(1) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“अधिकतम उम्र सीमा: 60 वर्ष”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“अधिकतम उम्र सीमा: वर्तमान में कार्यरत पदाधिकारी के लिए 65 वर्ष तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए 70 वर्ष।”

3. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के नियम 4(अ)(3) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“अनुभव: स्वास्थ्य विभाग (राज्य सरकार या भारत सरकार) के अन्तर्गत किसी भी मनोचिकित्सा संस्थान/चिकित्सा महाविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में शिक्षण, शोध कार्य एवं/या व्यावहारिक अनुभव जिसमें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी भी मनोचिकित्सा संस्थान/चिकित्सा महाविद्यालय में 5 वर्षों का प्राध्यापक/अपर प्राध्यापक के पद पर कार्यानुभव एवं कुल कार्यानुभव कम से कम 15 वर्षों का।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“अनुभव: स्वास्थ्य विभाग (राज्य सरकार या भारत सरकार) के अंतर्गत किसी भी मनोचिकित्सा संस्थान/चिकित्सा महाविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में शिक्षण, शोध कार्य एवं/या व्यवहारिक अनुभव, जिसमें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी भी मनोचिकित्सा संस्थान/चिकित्सा महाविद्यालय में 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें प्राध्यापक के रूप में कार्य करने तथा उसके अतिरिक्त पांच वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा डीन अथवा यूनिट हेड के रूप में कार्य करने का अनुभव।”

4. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के नियम 4(अ)(5) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“नियुक्ति की अवधि: नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले आयेगा।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“नियुक्ति की अवधि: कार्यरत पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष तथा संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्ति पदाधिकारी के लिए 70 वर्ष की आयु, जो पहले आयेगा।”

5. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के नियम 4(अ)(2) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“अनिवार्य योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोचिकित्सा/ तंत्रिकाविज्ञान विषय में चिकित्सकीय स्नातकोत्तर की डिग्री (Post graduate medical degree) जो एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश के आलोक में हो।”

को निम्नवत् अंतः स्थापित किया जाता है-

“अनिवार्य योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोचिकित्सा/ तंत्रिकाविज्ञान विषय में चिकित्सकीय स्नातकोत्तर की डिग्री (Post graduate medical degree)/Post-Doctoral की डिग्री National Medical Council द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश के आलोक में हो।”

6. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के नियम 4(अ)(4) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“नियुक्ति प्रणाली: सीधी नियुक्ति/स्थानान्तरण पर प्रतिनियुक्ति”

को निम्नवत् अंतः स्थापित किया जाता है-

“नियुक्ति प्रणाली: सीधी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/नियत अवधि के लिए संविदा पर नियुक्ति।”

7. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

8. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 27.03.2023 की मद संख्या 21 के रूप में प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव
